किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम   प्रकरण सं. 178/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया प्रेमदेवी पत्नि कन्हैयालाल पुत्री अमरा उर्फ अमरचन्द बैरवा ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता अमरा उर्फ अमरचन्द बैरवा की मृत्यु दिनांक 24.06.2016 को ग्राम कालसांस मे हो गई थी , प्रार्थीया के पिता के नाम ग्राम कांलसांस पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आराजी नं.2295/1741 खाता 06 पुराना 04 है तथा खाता सं. नया 07 व पुराना 07 मे खसरा सं.1740,1882,2086 कुल खसरा 3 है । प्रार्थीया के पिता का नाम त्रुटिवश अमरा पिता कालू चमार अंकित हो गया जबकि सही नाम अमरचन्द बैरवा है । प्रार्थीया के पिताजी को गांव रिश्तेदारी व परिवारजन अमरचन्द बैरवा के नाम से जानते है । प्रार्थीया के पिता के समस्त दस्तावेज मे अमरचन्द बैरवा दर्ज रिकार्ड है । अतः अमरा बैरवा को अमरचन्द बैरवा अंकित किया जावे । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2025/3032 दिनांक 01.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्रार्थीया अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया गया । प्रार्थीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है । जिससे मृत व्यक्ति के हित मे प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नही है । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । 20/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	